

DGT-TCDD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

लक्ष्मी प्राइवेट आईटीआई,

माता का पुर रेंज ऑफिस के पास, विश्रामगढ़,

मुरैना, मध्य प्रदेश - 476229

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस निदेशालय द्वारा यह नोटिस किया गया है कि आपकी आईटीआई नें बिना आवेदन किये ट्रेडों / यूनिट्स में वृद्धि की गई है | (NCVT पोर्टल एवं एफिलियेशन की प्रति संलग्न) |

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे |

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU23000981)





(आर. मुरगराजन)

उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TC031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

स्केट प्राइवेट आईटीआई,

मेन रोड, दौलतपुर, पोस्ट बुर्ज, तहसील लांजी,

जिला- बालाघाट, पिन -481222, मध्य प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 15.12.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपकी आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि की गई है। (ईमेल की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

श्री काँज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR23001090)



व/क


(आर. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TC031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

एसएनएम प्राइवेट आईटीआई,

छीपा तिहारा कथल पेट्रोल पंप के पास गाडरवारा,

जिला-नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश - 487551

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


इस निदेशालय को दिनांक 23.10.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपकी आईटीआई में बिना इंस्पेक्शन कराये गए भवन में आईटीआई शिफ्ट कर ली है। (ईमेल की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश।

2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU23000825)

o/c




(आर. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TCDD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

इंद्रप्रस्थ प्राइवेट आईटीआई,
दीन दयाल मार्ग, कैलारस, जिला- मुरैना,
पिन -476224, मध्य प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


इस निदेशालय द्वारा यह नोटिस किया गया है कि आपकी आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के ट्रेडों / यूनिट्स में वृद्धि की गई है | (NCVT पोर्टल एवं एफिलियेशन की प्रति संलग्न) |

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे |

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण


नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU23000558)

७८




(अरु. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TCDD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

उषा देवी प्राइवेट आईटीआई,
पहारगढ़ रोड कालरास, मुरैना,
मध्य प्रदेश - 476224

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


इस निदेशालय द्वारा यह नोटिस किया गया है कि आपकी आईटीआई नें बिना आवेदन/निरीक्षण के ट्रेडों / यूनिट्स में वृद्धि की गई है । (NCVT पोर्टल एवं एफिलियेशन की प्रति संलग्न) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण


नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR23000775)

१८





(आर. मुरुगराजन)

उप-निदेशक, प्रशिक्षण